सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

जनजाति समाज ने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की: राष्ट्रपति

न्यूज़लेटर | अक्टूबर - दिसंबर 2022

विषय सूची

जनजाति समाज ने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की: राष्ट्रपति

01

रिपोर्ट: स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान राष्ट्रव्यापी विश्वविद्यालयीन कार्यक्रम

04

चित्रमय झलकियां

11

साक्षात्कार: श्री हर्ष चौहान

माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

14

रिपोर्ट

जनजाति समाज ने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की: राष्ट्रपति

राष्ट्रीय कार्यशाला

जनजातीय अनुसंधान

अस्मिता, अस्तित्व एवं विकास

Tribal Research - Identity Rights and Development

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा 27-28 नवम्बर 2022 को दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। पहले दिन 27 नवंबर को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन के डोगरा सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ जबकि दूसरे दिन 28 नवंबर को सुबह आईआईटी दिल्ली में कार्यशाला हुई। इसके बाद शाम को राष्ट्रपति भवन में माननीया राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के उद्बोधन के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। दो दिवसीय कार्यशाला में देशभर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 67 कुलपति समेत 650 प्रतिभागी शामिल हुए। प्रतिभागियों में विश्वविद्यालयों प्राध्यापक, छात्र व सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। पहले दिन उद्घाटन सत्र में आयोग की सचिव श्रीमती अलका तिवारी ने आयोग द्वारा संपन्न किए गए कार्यक्रमों और आयोग के उत्तरदायित्व तथा शक्तियों की जानकारी दी। आयोग के अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान जी ने आयोग द्वारा जनजातीय स्वाधीनता सेनानियों पर देश भर के 104 विश्वविद्यालयों में आयोजित किये गए कार्यक्रमों की सफलता के बारे में बताते हुए जनजाति अनुसंधान की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि जनजाति अनुसंधान में तीन विषयों – अस्मिता, अस्तित्व तथा विकास पर ध्यान देना है। सत्र की अध्यक्षता करते हुए आईसीएसएसआर के अध्यक्ष डॉ. जे के बजाज ने कहा कि स्वाधीनता के 75 वर्ष बीत चुके हैं और आगामी 25 वर्ष देश के लिए अमृतकाल है। इस अमृतकाल में हमें जनजाति समाज का वास्तविक इतिहास और सामाजिक परिदृश्य को देश के सामने लाना है।

सत्र के अंत में आयोग के सदस्य श्री अनंत नायक ने धन्यवाद देते हुए आशा व्यक्त की कि नैमिषारण्य सत्र की ही भांति इस दो दिवसीय संगोष्ठी से अवश्य सकारात्मक निष्कर्ष निकलेगा। अस्मिता विषय पर हुए सत्र में वक्ता के तौर पर प्रो. रामी देसाई ने जनजाति समाज के बारे में औपनिवेशिक दृष्टिकोण को त्यागने पर जोर दिया। झाबुआ के सामाजिक कार्यकर्ता श्री राजाराम कटारा ने भील समाज की चिंताओं को अभिव्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनजाति समाज को

संग्रहालय और फिल्मों से बाहर निकल कर देखा जाए। मध्यप्रदेश के गोंड जनजाति के डॉ. रूप नारायण मंडावी ने जोर दिया कि जनजाति समाज के हीनताबोध को दूर किया जाए। सत्र के मुख्य वक्ता डॉ. जे के बजाज ने परिषद द्वारा जनजाति अनुसंधान के लिए विशेष आह्वान किये जाने की जानकारी दी। उन्होंने आग्रह किया कि आज अस्मिता से जुड़े मुद्दों पर अधिक शोध की आवश्यकता भी है।

इसी विषय पर दूसरे सत्र में झारखंड से आए प्रो. दिवाकर मिंज ने जनजाति अनुसंधान के लिए प्रविधि के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्त्रोतों के आधार पर ही अनुसंधान किया जाना चाहिए। झाबुआ के सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री महेश शर्मा ने जनजाति समाज की विशेषताओं को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि जनजाति समाज के पास तकनीकी जानकारियां भी होती हैं। उस पर अनुसंधान करना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रो. एम जगदीश कुमार ने अनुसंधान में छात्रों को सहभागी बनाने पर जोर दिया। सत्र के अंत में आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान ने कहा कि जनजाति अनुसंधान के लिए हमें बहुविषयी अध्ययन पर जोर देना होगा। इस सत्र का संचालन प्रो. मिलिंद दांडेकर ने किया। अस्तित्व विषय पर हुए सत्र का संचालन आयोग के संयुक्त सचिव श्री के तऊथांग ने किया। सत्र के प्रारंभ में सामाजिक कार्यकर्ता श्री मिलिंद थत्ते ने जनजाति समाज के संविधान प्रदत्त अधिकारों की चर्चा की।

प्रो. आर बालासुब्रमण्यम ने कहा कि हमें जनजातियों के नैतिक मूल्यों से सीखने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के उपसचिव श्री लक्ष्मण राज सिंह मरकाम ने कहा कि जनजाति समाज पर अनुसंधान करने के लिए और उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए हमें उनके साथ संवाद करना होगा। आयोग के सदस्य श्री अनंत नायक ने सत्र के अंत में जनजातियों को दिए गए अधिकारों पेसा अधिनियम, वनाधिकार अधिनियम आदि में अनुसंधान की आवश्यकता की चर्चा की। उन्होंने कहा कि नए भारत के निर्माण में इन अधिनियमों की भूमिका पर शोध किया जाना चाहिए। 28 नवंबर को दिल्ली आईआईटी में हुए विकास विषय पर चतुर्थ सत्र हुआ इस सत्र में महाराष्ट्र से आए सामाजिक कार्यकर्ता गजानन डांगे ने जनजाति समाज के विकास के लिए बहुआयामी प्रयास किए जाने पर जोर दिया। आईआईटी दिल्ली के प्रो. विवेक कुमार ने जनजाति विकास के मामले में अनुसंधान के विषयों पर प्रकाश डाला। उन्होंने अनुसंधान के विभिन्न आयामों और साधनों पर चर्चा की। आयोग की सचिव श्रीमती अलका तिवारी ने झारखंड में अपने कार्यकाल के दौरान जनजाति विकास के अनुभवों को साझा किया। सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. सत्येंद्र सिंह ने विकास में जनजातीय संस्कृति और परंपराओं का ध्यान रखे जाने पर जोर दिया। कार्यशाला के समापन सत्र में आयोग के संयुक्त सचिव के तऊथांग ने दो दिनों की कार्यवाही की संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की।

आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान ने कहा कि हमें जनजाति समाज को समझना होगा, साथ ही उन्हें स्वयं को भी समझना होगा। उन्होंने विकास से आगे बढ़कर समृद्धि लाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम जनजाति समाज के लिए योजनाएं बना कर उन्हें उसमें शामिल करने की बजाय योजना बनाने की प्रक्रिया में ही उन्हें शामिल करें। तभी सही समाधान हो सकता है। कुलपतियों से संवाद सत्र का संचालन आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक ने किया। कुलपतियों के साथ संवाद करते हुए भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष डॉ. जे के बजाज ने जनजाति अनुसंधान की दिशा पर प्रकाश डाला। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रो. एम जगदीश कुमार ने कुलपतियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि जनजाति अनुसंधान के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायताएं उपलब्ध हैं, परंतु उनके बारे में सभी को जानकारी नहीं है। इसलिए हमें सरकार के विभिन्न संस्थाओं की योजनाओं को जानने के लिए विश्वविद्यालय में प्रयास करने चाहिए। 28 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कार्यशाला में आए प्रतिभागियों से मुलाकात की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्वतन्त्रता संग्राम में जनजाति नायकों के योगदान पर चित्र प्रदर्शनियां आयोजित की गई। साथ ही जनजाति विषयों पर अनुसंधान के लिए कार्यशाला भी आयोजित की गई। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एवं राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों को मैं बधाई देती हूं। आज इस अवसर पर मैं पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी को भी स्मरण करती हूं जिनके नेतृत्व में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग स्थापित हुआ था। आज 'स्वतन्त्रता संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान' नामक पुस्तक का विमोचन होना गर्व की बात है। मुझे बताया गया है कि पूर्वोत्तर के राज्यों से लेकर पश्चिम में गुजरात तक और उत्तर में हिमाचल प्रदेश से लेकर दक्षिण में केरल तक के जनजाति समाज ने अंग्रेजों से जो भीषण संघर्ष किया, उसका वर्णन इस पुस्तक में है। मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक के माध्यम से देश भर में जनजातियों के संघर्ष और बलिदान की गाथाओं का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार होगा।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 125 प्रमुख विश्वविद्यालयों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किये। इन कार्यक्रमों में 50 हजार से अधिक जनजाति छात्रों तथा प्राध्यापकों की सहभागिता हुई। इन प्रयासों के लिए मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सराहना करती हूं। उन्होंने कहा कि एक लंबे समय से इन बलिदानों की अनकही गाथाएं देश और दुनिया के सामने नहीं आ सकी हैं। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एवं आप सभी के प्रयासों से देश और दुनिया को भी हमारी स्वतंत्रता में जनजाति समाज के योगदान एवं उनकी महान परम्पराओं का ज्ञान प्राप्त होगा।

रिपोर्ट

स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान

राष्ट्रव्यापी विश्वविद्यालयीन कार्यक्रम

भारत की आज़ादी एक लम्बे और अप्रतिम संघर्ष की उपलब्धि है जो स्वाधीनता पाने हेतु दो शतक से अधिक किया गया। विदेशी आक्रांताओं, शासकों व ब्रिटिश शासन से मुक्ति तथा अंततोगत्वा स्व-शासन की प्राप्ति, निश्चय ही अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का परिणाम था। इतिहास के पन्नों में ऐसे कई विस्मृत नायक हैं जिनके बलिदान की वजह से ही 1947 का स्वप्न सच हो पाया, और जिसके कारण आज भारत स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर "आज़ादी का अमृत महोत्सव" मना रहा है, साथ ही उन स्वतंत्रता सेनानियों का भी सम्मान कर रहा है जिनके संघर्ष और बलिदान के कारण भारत स्वाधीन हो पाया।

इस संदर्भ में, यह बताना आवश्यक है कि भारत के जनजाति समाज ने हमेशा ही विदेशी शासन का विरोध किया और समय-समय पर उनका बहादुरी से सामना भी किया है। प्राचीन काल से, भारत के विभिन्न जनजाति समुदाय अपनी विशिष्ट जीवनशैली एवं संस्कृति का पालन करते आए हैं और इसी कारण उन्होंने अपना स्वाभिमान अक्षुण्ण बनाए रखा।

भारत की आज़ादी हेतु भी जनजाति समाज हर बार तत्पर रहा एवं विदेशी ताकतों के साथ सोची-समझी रणनीति के तहत संघर्ष किया और सर्वोच्च बलिदान भी दिए। लेकिन आज भी उनके शौर्य, संगठन और बलिदान की ऐसी अद्भुत गाथाएँ इतिहास में अपना अस्तित्व तलाश रही हैं।

भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में, यह आवश्यक है कि देश उन विस्मृत जनजाति शूर-वीरों और जनजाति समाज के योगदानों को जानें जिन्होंने देश की आज़ादी में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। साथ ही यह भी आवश्यक है कि देश के युवाओं को इस बात को लेकर शिक्षित किया जाए कि देश की आज़ादी में जनजाति समुदायों का अविस्मरणीय योगदान रहा है। विशेषत: यह

आवश्यक है कि जनजाति युवा भी अपने पूर्वजों के गौरवमय इतिहास को जानें तथा अपने समाज के प्रति आदर और आत्मगौरव का अनुभव करे।

इस कड़ी में आयोग ने जनजाति समाज के विस्मृत स्वाधीनता सेनानियों से देश को परिचित कराने का निश्चय किया जिसके तहत आयोग ने 100 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से संपर्क साधा और "विश्वविद्यालयों में जनजाति समुदाय एवं अनुसंधान" पर विचार-विमर्श किया। इस चर्चा का उद्देश्य जनजाति समाज की आध्यात्मिक परम्परा, विशिष्ट संस्कृति, कला, पूजा-पद्धति, चिकित्सा व औषधि ज्ञान पर गहरी एवं शोधपूर्ण दृष्टि डालना था। इस चर्चा में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने सर्वसम्मति से माना कि जनजाति समुदाय हमेशा भारत की संस्कृति और विविधता के ध्वजवाहक रहे हैं और इसीलिए समाज के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझने के लिए अधिक शोध की आवश्यकता है। आयोग ने इस पर भी विचार किया कि जनजाति स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को विशाल अभियान द्वारा विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किया जाए।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने "आज़ादी का अमृत महोत्सव" की योजना के तहत दुर्लक्षित जनजाति स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को समाज के सामने लाने का संकल्प लिया और इस तरह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग व देश के नागरिकों के बीच संपर्क के नए माध्यम खुले। विशेषतः विद्यार्थी और अध्यापकों के बीच जो कि देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी रखते हैं एवं सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना के संरक्षक का काम करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने देश के 100 विद्यालयों में "स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान", यह अभियान चलाने का निश्चय किया। आयोग के तत्वावधान में एक संयुक्त रूप-रेखा बनाई गई। इस रूप-रेखा के अंतर्गत 60 से ज्यादा जनजाति स्वतंत्रता सेनानियों पर एनसीएसटी की देखरेख में एक प्रदर्शनी का निर्माण किया गया, जिसका प्रदर्शन कार्यक्रम स्थलों पर किया जा सके।

इस प्रकार दो से तीन घंटों का एक कार्यक्रम तैयार किया गया, जिसमें कि पहले भाग में "स्वतंत्रता के संघर्ष में जनजाति नायकों का योगदान" तथा दूसरे भाग में एनसीएसटी का विद्यार्थियों से परिचय कराया गया। तत्पश्चात अतिथि, वक्ता और प्रतिभागियों के परस्पर संवाद की व्यवस्था भी की गई। प्रत्येक स्थान पर जनजाति नायकों पर आधारित प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया।

कार्यक्रमों का आमंत्रण पत्र आयोग द्वारा उपलब्ध करवाया गया, जिसमें जनजाति समाज के गौरवशाली इतिहास के वर्णन के साथ-साथ कार्यक्रम की रूपरेखा की संक्षिप्त जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जनजाति छात्रों की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए संयोजकों ने व्यक्तिगत रूप से स्वयं उन्हें आमंत्रित किया। जनजाति छात्रों को आमंत्रण दिए जाने का विशेष ध्यान रखा गया, जिससे उनमें गौरव का भाव जागे और वे अपने स्वाधीनता संग्राम में अपने समाज के योगदान को जान सकें।

आंकड़ों से इन कार्यक्रमों की सफलता का पता चलता है। भारत के 23 राज्यों में फैले 100 विश्वविद्यालयों में जहां प्रदर्शनी एवं कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, वहां सहभागियों की कुल संख्या 40,000 से अधिक थी, जिसमें विद्यार्थियों से लेकर प्राध्यापक की सहभागिता हुई है। सभी मुख्य अतिथि, गणमान्य जनों, विश्वविद्यालय और बोर्ड के प्रतिभागियों ने, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के इस अनोखे प्रयास की भूरि-भूरि प्रशंसा की। सभी जगह आयोजित किए गए कार्यक्रमों में यही वाक्य सुनने को मिला कि उन्होंने पहली बार जनजाति स्वाधीनता सेनानियों के इस महत्त्वपूर्ण योगदान के बारे में सुना है। विश्वविद्यालयों ने आयोग से अनुरोध किया कि जनजाति स्वाधीनता सेनानियों पर बनी प्रदर्शनी को अधिक समय तक दिखाया जाए ताकि आसपास के लोग भी इसे जान सकें। कार्यक्रम के संबंध में छात्रों की प्रतिक्रिया भी काफी सकारात्मक व उत्साहजनक थी।

इन कार्यक्रमों के बाद, जनजाति विषयों पर अधिक शोध कार्य करने की आवश्यकता भी उभर कर सामने आई। वास्तव में अभियान की सच्ची सफलता एवं जनजाति स्वतंत्रता सेनानियों को दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि तभी सार्थक मानी जाएगी जब जनजाति समाज पर शोध कार्य में प्रगति आए तथा शोध कार्यों में सरकार, स्वयंसेवी संस्थाओं व समाज की मदद से जनजाति समाज की सहभागिता देखने को मिले। इससे भविष्य में उचित नीतियां और जनजाति कल्याण की योजनाएं बनाई जा सकेंगी। आयोग ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों, जनजाति प्राध्यापकों तथा शोध छात्रों के लिए जो कार्यशाला की योजना बनाई है, वह भी इस मुहिम को आगे ले जाने में सहयोग करेगी।

स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान

राष्ट्रव्यापी विश्वविद्यालयीन कार्यक्रम

Nationwide
Reach

64%

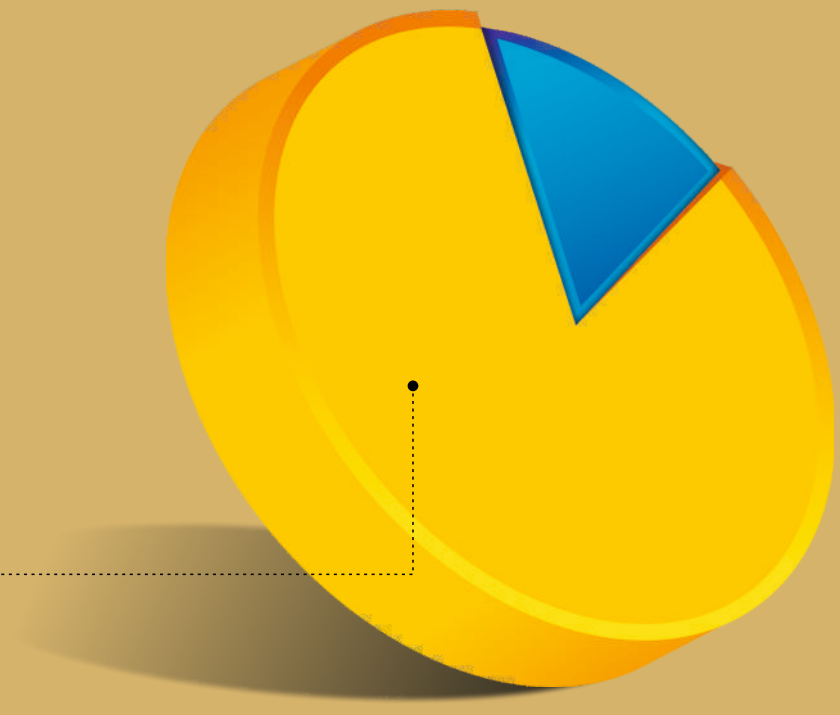

Total Tribal Population in India as per 2011 census

10,45,45,716

Total Tribal Population outreached in districts where events hosted

6,69,24,250

Tribal Population Outreach (%age) as per 2011 Census

64%

Organised in

23

States

स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान

राष्ट्रव्यापी विश्वविद्यालयीन कार्यक्रम

At a Glance

States covered
23

Students participated
35000

Number of events
100

Number of exhibitions
100

Faculty participated
4286

Special guests
75

Guests speakers
250

चित्रमय झलकियां...

केन्द्रीय विद्यापीठ

स्वतंत्रता संग्राम

अटल विहारी वाजपेयी
स्वतंत्रता संग्राम में

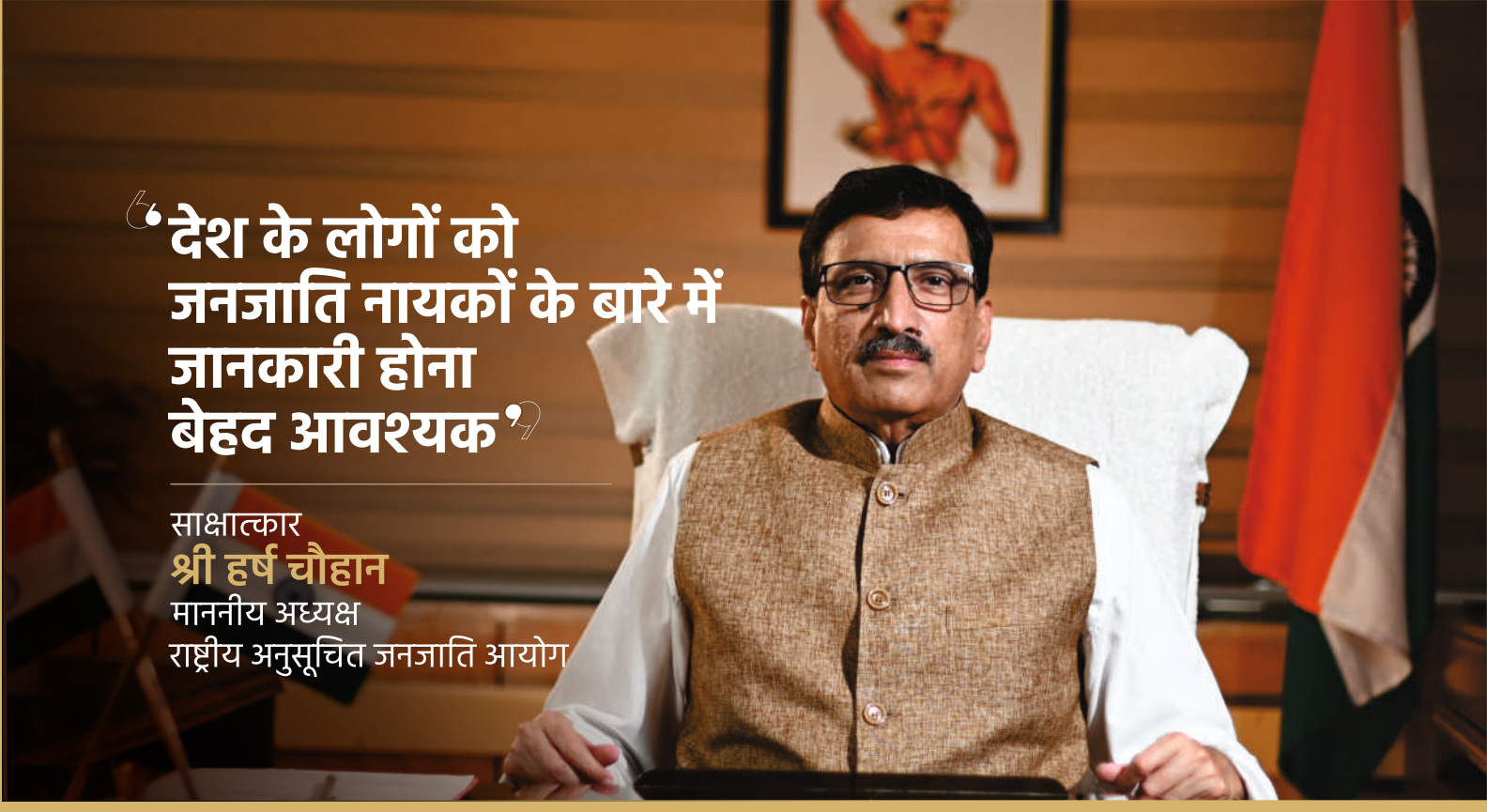

"देश के लोगों को जनजाति नायकों के बारे में जानकारी होना बेहद आवश्यक"

साक्षात्कार
श्री हर्ष चौहान
माननीय अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

पिछले दिनों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश के 125 विश्वविद्यालयों में "स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों के योगदान" विषय पर कार्यक्रम किए गए। इन कार्यक्रमों में जनजातीय छात्रों तथा प्राध्यापकों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इन कार्यक्रमों में आयोग की शक्तियों, दायित्वों, गतिविधियों तथा प्रक्रियाओं की विशेष जानकारी दी गई। साथ ही छात्रों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया। इन कार्यक्रमों के संपन्न होने के बाद इनके प्रभाव तथा परिणामों को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान से एक साक्षात्कार किया गया।

प्रस्तुत है उनसे हुई बातचीत के प्रमुख अंश :

देश के स्वतंत्रता संग्राम का लिखित इतिहास उपलब्ध है। क्या आपको लगता है कि जनजातीय समाज के योगदान को इस इतिहास में सही स्थान दिया गया है?

दुर्भाग्य से जनजातीय समाज के योगदान को इतिहास में उस तरह से स्थान नहीं दिया गया जिस तरह से दिया जाना चाहिए था। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए जनजातीय समाज के हजारों-लाखों वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन हम उससे अनभिज्ञ हैं क्योंकि इस बारे में किताबों में लिखा ही नहीं गया। वनवासी समाज की एक गलत छवि गढ़ी गई जो अंग्रेजों ने गढ़ी। जैसा उन्होंने बताया, लोग वैसा ही समझते रहे। अंग्रेजों ने जनजातियों को अपराधिक जनजाति करार दे दिया, जबकि ऐसा था नहीं। अंग्रेजों ने जो किया सो किया, परंतु स्वाधीनता के बाद भी इस पर किसी का ध्यान नहीं गया।

आयोग द्वारा देशभर में स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों के योगदान पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी?

जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जनजातीय समाज के योगदान को इतिहास में उस तरह से स्थान नहीं दिया गया जिस तरह से दिया जाना चाहिए था। इसलिए आयोग ने पहल करते हुए आजादी के अमृत महोत्सव के तहत "स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों के योगदान" विषय पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया ताकि देश के युवा व समाज के दूसरे तबके के लोग भी जनजाति समाज के योगदान के बारे में जान सकें और जो स्थान उन्हें इतिहास में दिया जाना चाहिए था वह उन्हें अब मिले।

देशभर के विश्वविद्यालयों में हो रहे कार्यक्रमों से क्या परिणाम सामने आ रहे हैं? जनजातीय समाज के छात्रों से किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है?

देखिए अभी तक ऐतिहासिक तथ्यों को झुठलाकर जनजातीय समाज के सामने उनके इतिहास को विकृत करके रखा गया है, इसके कारण जनजाति समाज में भी हीन भावना आ गई है। ऐसा इसलिए हुआ है कि वर्षों से उन्हें गलत ही जानकारी दी गई। आयोग जो कार्यक्रम आयोजित कर रहा है उसमें जनजाति समाज के युवाओं को उनके गौरवान्वित करने वाले इतिहास से परिचित कराया जा रहा है। उन्हें उस इतिहास के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है जो उन्हीं का है लेकिन अभी तक वह उससे अनभिज्ञ थे। जनजातीय समाज से आने वाले युवा अपने इतिहास को जान रहे हैं, वह लगातार इस बारे में प्रश्न कर रहे हैं। उनकी जिज्ञासाओं का समाधान हो रहा है। हमें इन कार्यक्रमों में बहुत अच्छी सफलता मिली है। बहुत हद तक हम अपने उद्देश्य में कामयाब हुए हैं। एक सार्थक और सकारात्मक विमर्श इन कार्यक्रमों के माध्यम से खड़ा हुआ है।

इन कार्यक्रमों को करने के बाद आगे की क्या योजनाएं हैं? इसके बाद आयोग इस दिशा में क्या करने वाला है?

इन कार्यक्रमों को करने का उद्देश्य क्या था, यह तो स्पष्ट हो ही चुका है। इन कार्यक्रमों को आयोजित करने के साथ साथ हमने विश्वविद्यालयों को यह भी कहा है कि वह अपने यहाँ जनजातीय समाज से जुड़े हुए विषयों पर शोध कार्यों को बढ़ावा दें। हमने छात्रों और युवाओं से आग्रह किया है कि वह जनजातीय समाज पर ज्यादा से ज्यादा शोध करें और अपने समाज की सही और सटीक जानकारी समाज के सामने ला कर रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है - जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। हम चाहते हैं कि जनजातीय समाज के युवा भी आगे आएं और अनुसंधान यानी शोध कार्य करें। जनजातीय समाज के युवाओं से यही आह्वान है कि वह अस्मिता, अस्तित्व और विकास इन तीनों विषयों पर काम करे। आयोग इस बात की निगरानी भी करेगा कि कहां-कहां जनजातीय समाज से जुड़े विषयों पर शोध कार्य किए जा रहे हैं।

जनजातीय समाज के लिए अलग आयोग की आवश्यकता क्यों महसूस हुई ?

जनजातीय समाज के कल्याण के लिए जितने प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं, उतने दुनिया में कहीं नहीं किए गए हैं। हमारे देश का वनवासी समाज सदैव से संकोची स्वभाव का रहा है। शेष समाज को उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है और यदि पता भी है तो बहुत कम पता है। अंग्रेजों ने जो शिक्षा दी, उससे जो शिक्षित समाज निकला, उसने भी वही सोचा और समझा जो उसे बताया गया। दरअसल अंग्रेजों ने जनजातीय समाज की एक छवि बनाई। उन्होंने जो छवि बनाई वह अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई। इसके चलते देश में जनजाति समाज के प्रति भ्रम रहा, जनजातीय समाज भी अपने संकोची स्वभाव के कारण इस बारे में कुछ कह ही नहीं पाया। इसलिए अलग से जनजातीय समाज का वर्ग बनाकर उसके लिए आरक्षण और अन्य सुविधाएं संविधान के माध्यम से की गई। पहले एससी एसटी मंत्रालय बना। ऐसा इसलिए था कि दोनों वंचित समुदाय थे और समाज से कटे हुए थे, लेकिन बाद में पता चला कि एससी और एसटी दोनों समुदायों की समस्याएं अलग-अलग हैं। सामाजिक भी और अस्तित्व संबंधी भी। अनसूचित जाति से आने वाला समाज ज्यादातर नगरों में रहा, इसलिए वह ज्यादा जल्दी जागरूक हुआ। जनजातीय समाज का बाहरी संपर्क कम था, इसलिए जागरूकता की भी कमी रही। इन सब बातों को देखते हुए साठ के दशक से ही मांग होने लगी थी कि जनजातीय समाज की समस्याओं के लिए अलग मंत्रालय होना चाहिए। 1999 में जब देश में अटल जी की सरकार बनी, तब जनजातीय कार्य मंत्रालय अलग से बना। 2003 में निर्णय हुआ कि जनजातीय समाज के लिए अलग से आयोग भी बनना चाहिए। फिर 2004 में आयोग बनाया गया, तब से लगातार आयोग जनजातीय समाज के हित और कल्याण के लिए प्रयासरत है और अपना काम कर रहा है। आयोग के बनने के बाद से काफी हद तक

जनजातीय समाज के लिए बीच जागरूकता भी आई है और वह अपना संकोची स्वभाव छोड़कर अपने अधिकारों को लेकर सजग भी हुआ है।

जनजातीय समाज की वास्तविक आवश्यकताएं क्या हैं?

चूँकि जनजातीय समाज का जीवन जंगल पर आधारित है, इस समाज की समाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था अलग है, जंगल पर उसका अधिकार यानी जंगल के साथ रहने का अधिकार है। यह मुख्य विषय है। इसके अलावा पर्यावरण को हुई हानि के कारण जलस्त्रोत, वनस्पति, वन्यजीव आदि की जो हानि हुई है उसका समाधान करने की जरूरत है। साथ ही जनजातीय समाज के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि इस समाज के लिए वित्तीय समावेशन करना यानी यह सुनिश्चित करना कि वह आर्थिक तौर पर भी आत्मनिर्भर हो, उनके अनुरुप शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं जनजातीय समाज तक पहुंचे।

सत्यमेव जयते

मुख्यालय

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

छठवा तल, बी—विंग, लोकनायक भवन, खान मार्केट, न्यू दिल्ली - 110 003

संपर्क नंबर: 011-24604689

टोल फ्री नंबर: 1800-11-7777

शिकायत हेतु: https://ncstgrams.gov.in/

वेबसाइट: www.ncst.nic.in